फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री हरिशचन्द्र देवड़ा पिता डालचन्द देवड़ा निवासी गोराणा तहसील झाडोल, जिला उदयपुर

बनाम

राजस्थान सरकार

G.C.M.S. no— 2021/82 प्र.सं. 54 / 2021 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ27 GB 9521 टैंकर को मय उसमें भरे हुए डीजल के, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा टैंकर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन टैंकर के अन्दर जो डीजल भरा हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरा डीजल प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ27 GB 9521 टैंकर मैसर्स भवानी टैंकर्स जरिये पार्टनर एवं पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर एवं वाहन स्वामी श्री हरिशचन्द्र देवड़ा पिता डालचन्द देवड़ा के नाम है तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल पो. जालमपुरा ने अपने पत्रांक 09.03.2021 से, उक्त टैंकर मैसर्स भवानी टैंकर्स से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल में अनुबंध पर होना बताया है एवं उक्त टैंकर एवं उसमें भरे हुए डीजल को ट्रांसपोर्टर मैसर्स भवानी टैंकर्स को सुपुर्द किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। साथ ही थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर, चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन RJ27 GB 9521 टैंकर एवं उसमें भरे हुए डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। रिबटल में अभियोजन अधिकारी ने उक्त वाहन मय डीजल वाहन स्वामी को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ27 GB 9521 टैंकर एवं उसमें भरे हुए डीजल का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ27 GB 9521 टैंकर एवं उसमें भरे हुए डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ27 GB 9521 टैंकर एवं उसमें भरे हुए डीजल को 50,00,000/- अक्षरे पचास लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं।	

(के.के. शर्मा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official